[24/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 3580]

नरा० 3580

परिशिष्ट - ३

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

भोपाल, दिनांक 27 / 09 / 2018

:: आदेश ::

एफ 1–3 / 2017 / 20–1:: विभागीय आदेश कमांक 44–6 / 2014 / 20–2 दिनांक 10.02.2014, ऐसे गुरूजी एवं पर्यवेक्षक जो तत्समय मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत थे, को संविदा शाला शिक्षक 3 के पद पर परीक्षा लिए बिना नियोजित करने के संबंध में जारी किया गया। उक्त आदेश में यह भी लेख किया गया था कि उनके नियोजन की कार्यवाही विभागीय आदेश दिनांक 18.05.2012 के अनुसार किस प्रकार की जाए।

2/ विभागीय आदेश कमांक 44–6 / 2014 / 20–2 दिनांक 09.12.2014 समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 10.02.2014 के अनुकम में जारी किया गया, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों को अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए जाने हेतु आवश्यक सेवा काल की गणना विभागीय आदेश जारी करने के दिनांक अर्थात 10.02.2014 से की जाएगी।

3/ उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश कमांक एफ 44–14 / 2012 / 20–2 दिनांक 18.05.2012 अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों के संबंध में है, जबकि विभागीय आदेश कमांक 44–6 / 2014 / 20–2 दिनांक 10.02.2014 आर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों के संबंध में है।

4/ इस संबंध में पुनः स्थिति स्पष्ट की जाती है कि अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों की वरिष्ठता किसी भी स्थिति में दिनांक 10.02.2014 से पूर्व की तिथि से प्रदान नहीं की जा सकती जैसाकि विभागीय आदेश दिनांक 09.12.2014 द्वारा आदेशित किया गया है। अतः अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरूजियों एवं पर्यवेक्षकों की वरीष्ठता विभागीय आदेश दिनांक 09.12.2014 द्वारा आदेशित अनुसार दिनांक 10.02.2014 से मान्य की जावे।

उपर्युक्तानुसार स्पष्टीकरण से भिन्न स्थिति मान्य करते हुए यदि किन्हीं अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किन्हीं अभ्यार्थियों को अन्यथा लाभ दे दिया गया है तो ऐसे आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इस संबंध में कार्यवाही न करने की स्थिति में संबंधित त्रुटिकर्ता अधिकारी की जबावदारी नियत की जाकर उनसे आवश्यक वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
27/9/18
(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 27 / 09 / 2018

पृ.क्र. एफ 1–3 / 2017 / 20–1

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल। कि
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक / विधि प्रकोष्ट, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. आर्डर बुक।

27/9/18
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

11897/DRSK/2018
01/10/2018